

रीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में जा

16<sup>9</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार  
आवाज लगवाने के बावजूद सायं 5.00  
बजे तक वादी एवं वादी वकील में से  
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः  
प्रकरण अदम खजिरी एवं पैकी में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली  
अदम पैकी में फूलल भुमार लेकर  
रजिस्टर से कम ही जावे। वादपूर्ति  
दफ्तर दाखिल है।

  
500